

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राजस्थान)

--: कार्यालय आदेश :-

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 04, दिनांक 24.01.2018 द्वारा बारां न्यायिक क्षेत्र के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए दिनांक 04/03/2018 के राजकीय अवकाश हेतु श्री विजय सिंह महावर, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबडौद को अधिकृत किया गया था। परंतु उक्त पीठासीन अधिकारी उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर होने से पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः आदेश जारी किया जाता है कि दिनांक 04/03/2018 को श्री विजय सिंह माहवर, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबडौद के स्थान पर श्री मौहम्मद आजम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्ता को बारां न्यायिक क्षेत्र के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

चूंकि माननीय राज० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2018 का अवकाश घोषित किया गया है इसलिए उक्त अवकाश में भी श्री मौहम्मद आजम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्ता ही बारां न्यायिक क्षेत्र के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए अधिकृत रहेंगे।

नोट:- उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यदि वे अपने मुख्यालय पर मौजूद हैं, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।


— 54 —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राजस्थान)

क्रमांक :- 285

दिनांक :- 28/1/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख हैं कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. श्री मौहम्मद आजम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्ता।
4. श्री विजय सिंह महावर, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबडौद।
5. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website- [ecourts.gov.in/ baran](http://ecourts.gov.in/baran) पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राजस्थान)